

27-6-1) - आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट कौटकासिम में पेश हुई। वादी का मूल वाद निर्णय हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तक सील काखिल दफतर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बदर)